# कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)
कचहरी रोड, रांची, पिन – 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 61/cay                                                    दिनांक :- 16-12-17

## अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :– **अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।**
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :– **23/12/2017** को **02:00 बजे** अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– **23/12/2017** को **02:30 बजे** अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :– **18/12/2017** से **22/12/2017** तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :– (1) अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।
(2) सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

| क्र0 | वार्ड नं0 | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य | अग्रधन की राशि | कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश की तिथि से) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | [redacted] | Installation and Transporting and Painting of Children Playing equipments available at Birsa Munda Smrit Park. | 169000 | 1000 | 3400 | 45 दिन |

**1.निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

(क)
a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रुप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रुप में)
c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) **उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।**

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉं निर्गम) तीन या पॉंच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रप के लिये अलग से) **नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम** से जमा करना होगा एंव परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेवसाईट **www.ranchimunicipal.com** से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करगें।
5. इस निविदा के सबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से सबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Scanned by CamScanner

8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।

9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस सबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र–सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नही कराया जायेगा।

10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नही किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub- letting मान्य नही होगा।

12. किये गये कार्य का रख रखाव 01 वर्षो तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 01 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।

13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारुप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।

14. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉं निर्गम) तीन या पॉंच वर्षीय सावधि पासबुक जो **नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम, रॉंची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज)** हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चत करगें। एकरारनामा ससमय नही किये जाने पर आवंटित कार्य रदद् कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नही किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।

15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नही प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्तिथि में नही दी जायेगी।

**उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नही किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।**

16/12/17

**अधीक्षण अभियंता**
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned by CamScanner